झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 20.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0 श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0	झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुमंडलों के महत्त्वपूर्ण पदों में अनुमंडल पदाधिकारी जिलास्तर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी का घोर अभाव है, जिसे सरकार द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक संवर्ग के मूल कोटि के पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जाती रही है। दिनांक- 07.06.2019 को अधिसूचना सं0- 4483 एवं 4484 के द्वारा मात्र 63 पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है जबकि अभी कई योग्य पदाधिकारियों को प्रोन्नति से वंचित रखा गया है। अतएव प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वंचित पदाधिकारियों को प्रोन्नति देते हुए अनुमंडल एवं जिला के महत्त्वपूर्ण रिक्त पदों पर पदस्थापित करने का सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
02-	श्री लोबिन हेम्ब्रम स0वि0स0 श्री रामदास सोरेन स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	गोड्डा जिला अन्तर्गत डी0एम0एफ0टी0 योजनान्तर्गत असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा संविदा के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सीय कार्यों के लिए नियुक्ति हेतु स्टॉफ नर्स-70, ड्रेसर-17, ओ0टी0 एसिटेण्ट-09, प्रयोगशाला प्रावैद्यकी-04, कोल्डचैन हैण्डलर-08, फर्मासिस्ट-03 एवं ए0एन0एम0-12 जैसे कुल-123 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		विदित हो कि उक्त नियुक्ति में दिनांक- 09.03.2019 को परीक्षा की तिथि निर्धारित थी और विभाग द्वारा एक ही दिन में परीक्षा, परीक्षा का परिणाम, मेरिस्ट लिस्ट, नियुक्ति पत्र एवं योगदान भी एक ही दिन यानी 09.03.2019 को करा दिया गया। इस संबंध में सी0एस0, गोड्डा द्वारा सरकार के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची का पत्रांक- 1611/स्वा0 दिनांक- 29.07.19 द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जाँच के क्रम में 35 स्टॉफ नर्स एवं 5 ए0एन0एम0 द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। ड्रेसर के पद पर दो कर्मियों ने मूल प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है। वहीं दो कर्मी ऐसे हैं जो विज्ञापन में निर्धारित उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक के उम्र की नियुक्ति की गई है इसके अलावा ओ0टी0 एसिस्टेंट पद पर नियुक्त 3 कर्मियों का मूल प्रमाण पत्र साथ ही प्रयोगशाला प्राविधिक पद पर नियुक्त कर्मी में एक का मूल प्रमाण पत्र नहीं होने की जानकारी दी है। ऐसे परिस्थिति में नियुक्त कर्मियों का यह कैसे संभव है कि एक ही दिन में सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अतः सदन के माध्यम से उक्त नियुक्ति घोटाला, तथा वित्तीय अनियमितता की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	
03	श्री बंधु तिर्की स0वि0स0	राज्य के सरकारी अस्पतालों में विगत 10 वर्षो से अनुबंध पर कार्यरत ए0एन0एम0 जोखिम भरे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और आठ घंटे के बजाय 12 से 24 घंटे तक सेवा देने के बावजूद अल्प	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		मानदेय भोगी होने के कारण सरकारी कर्मचारी होते हुए भी दयनीय एवं निराशजनक जीवन जीने को मजबूर हैं एवं नियमतिकरण की आस में आधी उम्र समाप्त कर चुके हैं और Jssc झारखण्ड एन0एन0एम0 प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-01/2019) के माध्यम से नई नियुक्ति नियमावली लायी है। अतः झारखण्ड ए0एन0एम0 प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-01/2019) के अविलंब रद्द करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में गठित विभागीय चयन समिति के आधार पर ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 का समायोजन किया जाय चूँकि इसी आधार पर पूर्व में अनुबंध पारा मेडिकल कर्मी की नियमित नियुक्ति की गई है साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों में जिस प्रकार से दस वर्षों से कार्यरत अस्थायी/दैनिक भोगी/मानदेय भोगी कर्मचारियों का समायोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मानदेय भोगी अनुबंध कर्मियों को भी समायोजित किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04	श्री निरल पुरती स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0	राज्य के जिला मुख्यालयों/अनुमंडलों/अंचलों एवं अन्य सरकारी संस्थानों/कार्यालयों में Computer Operator Driver, Peon, office Attendant, Sweeper, अमीन आदि के पदो पर Out Sowrcing के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है। वाह्य स्त्रोत की कंपनियाँ सरकार से ऐसे कर्मियों को मानदेय भुगतान हेतु रू0 18000/-रू0 22000 लेती है। जब कि कर्मियों को वास्तविक भुगतान रू0 7500/-रू0 11500/- ही करती है। यह कृत्य अमानवीयता के साथ-साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अतः राज्य में ऐसे कर्मियों के शोषण रोकने हेतु	योजना सह वित्त/ सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस

01.	02.	03.	04.
		Out Sowrcing बन्द करने तथा इन्हें नियमित करने सह- आजतक हुए Out Sowrcing की जाँच कर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	
05	श्री दिनेश विलियम मरांडी स0वि0स0	पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड में आलूबेड़ा पंचायत के North Block में B.G.R. कम्पनी के द्वारा कोयला उत्खनन एवं Transfort का काम किया जा रहा है। ज्ञात हो कि उक्त कम्पनी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित CSR मापदण्डों के अनुसार कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है परन्तु WBPDCL एवं B.G.R. कम्पनी के मिली भगत से CSR मापदण्डों का उल्लंघन किया जा रहा है लोक कल्याण कारी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदिवासियों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाना आदि किसी भी प्रकार कार्य नही किया जा रहा है। पर्यावरणीय स्वस्च्छता एवं सी0टी0ओ0 में दिये गए शर्त्तानुसार उक्त कम्पनी कोई कार्य नहीं कर रहा है जिसके कारण सम्पूर्ण आदिवासी समाज रोगग्रस्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिवासियों का सनूल नास हो सकता है। उक्त कम्पनी में कार्यरत स्थानीय कर्मचारी एवं श्रमिकों को हटाकर कम्पनी कर्नाटक एवं अन्य जगहों से श्रमिक कर्मचारी लगा रही है। जिसके कारण स्थानीय श्रमिकों में रोष व्याप्त है एवं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अतः अनुरोध है कि उक्त कम्पनी पर कार्रवाई की जाए। सदन का ध्यान इस गंभीर मामलों की ओर आकृष्ट करता हूँ।	खान एवं भूतत्व

राँची,
दिनांक- 20 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....1288.....वि0 स0, राँची, दिनांक- 19/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/योजना सह- वित्त विभाग/सूचना प्रोद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंदी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....1288.....वि0 स0, राँची, दिनांक- 19/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

19.03.20